विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश क्रमांक 263/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक w0525722

विषय :- माह मई-जुलाई-अगस्त बिजली मीटर अधिक रीडिंग का बिल दिये जाने बाबत।

श्री प्रणेश चन्द्र शर्मा,

-——परिवादी

20, परवाना नगर,

उज्जैन म.प्र.,

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकांलि. उज्जैन,

----उत्तरदाता

<u>आदेश</u> (आज दिनांक 27.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से अनुपस्थित। विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से अनुपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका घरेलू सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3973006878, स्वीकृत भार 3.0 किलो वॉट है। कि पहले मेरा मिटर बहुत फास्ट चलता था, तो बिल राशि रू.15,000/—, रु.14000/—, रु.9000/— आता था। फिर MPEB द्वारा चेक मिटर लगया गया था। दोनो मिटर कि रीडिंग में ज्यादा अन्तर नहीं आया था, अभी वर्तमान में मीटर फास्ट नहीं चल रहा है, ठीक है। यदि बाद में मीटर फास्ट चलता है तो इसके लिये में आपको सूचित करूंगा। अभी सब ठीक है। शिकायत वापस ली जाती है।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, श्री प्रणेश शर्मा पता 20 परवाना नगर उज्जैन विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3973006878, के द्वारा कार्यालय में अधिक बिल आने की शिकायत दर्ज कराई गर्द थी शिकायत अनुसार शिकायतकर्ता के परिसर पर चेक मीटर लगाया गया एवं 1 महीने पश्चात दोनो मीटर में सम्मान खपत दर्ज होना पाया गया जिसकी जानकारी शिकायतकर्ता को जारी किये गये। शिकायतकर्ता के परिसर पर संयोजित भार 4 किलो वॉट पाया गया। अतः जवाबदावा माननीय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

परिवादी की शिकायत का विपक्ष द्वारा निराकरण करने पर फोरम सुनवाई दिनांक 20.09.2022 को फोरम कार्यालय को लिखित में प्रकरण वापस लेने का आवेदन दिया है। अतः प्रकरण को समाप्त किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :--

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :--

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता हैं।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, विपक्ष द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाने के कारण परिवादी ने लिखित में प्रकरण को वापस लेने की सहमति दी है। अतः प्रकारण को समाप्त किया जाता है।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्डर), (एन.एस.मंडलोई) (वीरेन्द्र कुमार गोयल) सदस्य सदस्य अध्यक्ष